अति अत्यावश्यक

सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या विविध 80–14/2020 (भाग–4)......4074

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा(भा.प्र.से.)
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका)
–सह–जिला पदाधिकारी, दरभंगा, सहरसा, जमुई,
शिवहर, नालन्दा, सुपौल एवं पटना।

पटना, दिनांक– 17/x/2025

विषय :– राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा क्रय किये गये ई.वी.एम. के सत्यापन के संबंध में।

प्रसंगः– आयोग का पत्रांक–2904 दिनांक–26.09.2025, पत्रांक–3575 दिनांक–29.08.2025 एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना के पत्रांक–2644 दिनांक–18.07.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा M2 EVM का आयोग द्वारा नये सिरे से भौतिक सत्यापन के उपरान्त EVM का संख्यात्मक मिलान करने का निर्णय लिया गया एवं प्रारंभिक चरण में BEL के रूप में चिन्हित जिलों को EVM के सत्यापन एवं मिलान हेतु नोडल/प्रभारी पदाधिकारी को सभी अभिलेखों के साथ प्राधिकृत करने का अनुरोध किया गया था।

उपरोक्त जिलों के प्राधिकृत पदाधिकारियों द्वारा ई.वी.एम. सत्यापन से संबंधित अंतिम प्रतिवेदन अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा अनुरोध किया गया है कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के निर्वाचन समाप्ति के पश्चात ई.वी.एम. सत्यापन हेतु तिथि निर्धारित करने की कृपा की जाए।

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के निर्वाचन की प्रक्रिया में जिला के नोडल पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारियों की व्यस्तता के कारण आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के निर्वाचन समाप्ति के पश्चात शेष बचे ई.वी.एम. का सत्यापन किया जाएगा।

अतएव अंतिम रूप से स्मारित करते हुए पुनः अनुरोध है कि जिला नोडल पदाधिकारी/उप निर्वाचन पदाधिकारी से (जमुई जिला छोड़कर) स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए अपने मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जाए, साथ ही ई.वी.एम. सत्यापन से संबंधित आवश्यक अभिलेखों के साथ ई.वी.एम. नोडल पदाधिकारी या अन्य किसी वैसे पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाय जिन्हे उक्त विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी हो उन्हें आयोग कार्यालय में बिहार विधानसभा के निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर (दिनांक–21.11.2025 तक) अंतिम प्रतिवेदन के साथ प्राधिकृत करने की कृपा की जाए।

ध्यातव्य हो कि बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 की प्रक्रिया चल रही है। ऐसी स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के स्वामित्व/नियंत्रणाधीन ई.वी.एम. की स्थिति के संबंध में विशेष सतर्कता वरती जाए तथा किसी कारण से ऐसे ई.वी.एम. आयोग की पूर्वानुमति के बिना वेयर हाउस से बाहर नहीं निकाला जाए। उपर्युक्त को सुनिश्चित कराने का उत्तदायित्व संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत/नगरपालिका) की होगी।

विश्वासभाजन

सचिव।

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847| E-mail: secbihar

E:\dhiru\Prem sir letter.2.docx

ज्ञापांक– विविध 80–14 / 2020 (भाग–4) 4074 पटना, दिनांक– 17/x/2025
प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक– विविध 80–14 / 2020 (भाग–4) 4074 पटना, दिनांक– 17/x/2025
प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग / सचिव, पंचायती राज विभाग बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक– विविध 80–14 / 2020 (भाग–4) 4074 पटना, दिनांक– 17/x/2025
प्रतिलिपिः– श्री अशोक प्रियदर्शी, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 2644 दिनांक–18.07.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक– विविध 80–14 / 2020 (भाग–4) 4074 पटना, दिनांक– 17/x/2025
प्रतिलिपि :– सुश्री प्रीति कुमारी, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।